न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ.राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 76 / 2023

GCMS No. : 2023/137

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. विनोद जैन पुत्र श्री मफतलाल जैन मैसर्स रतनदीप मिल्क केनपुरा रोड़ छोटी रानी गांव बस स्टेण्ड के पास रानी 2. श्री भरत कुमार जैन पुत्र श्री शांतिलाल जैन मैसर्स रतनदीप मिल्क केनपुरा रोड छोटी रानी गांव बस स्टेण्ड के पास रानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 6-3-2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 16.11.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स रतनदीप मिल्क केनपुरा रोड छोटी रानी गांव बस स्टेण्ड के पास रानी पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। फर्म का निरीक्षण करने पर लगभग 3940 लीटर घी आमजन को बेचने के लिए रखा गया हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रुबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया की घी का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में दो किलो घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 900/–रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी को चार बराबर भागो में बांटकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1599 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। वहां पर उपस्थित 4–5 व्यक्तियों को सरकारी गवाह बनने को कहा लेकिन कोई गवाह बनने को तैयार नही होने कि स्थिति में सरकारी गवाह श्री भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को बनया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर–1599 के संबध

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवमानक पाया गया, जिस पर अप्रार्थी ने घी के नमुने की द्वितीय जांच हेतु रेफरेल लैब मैसुर भेजने के लिए आवेदन किया जाने पर नमूने की द्वितीय जांच हेतु रेफरल लैब मैसूर भेजा गया। मैसुर रेफरेल लेब से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 20.3.2023 अनुसार भी अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी का नमुना क्रमांक आर–1599 Sub standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub standards घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि हमारी फर्म से लिया गया सेम्पल मानक दरो पर खरा नही उतरा था। हमारी फर्म द्वारा दुग्ध प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रण लेते है। अप्रार्थी द्वारा भविष्य में पुरी तरह से सावधानी बरती जायेगी। फर्म द्वारा निर्मित उत्पाद में किसी प्रकार कि मिलावट नही की जाती है। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित फरमावे।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2022 को अप्रार्थी की फर्म से घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1599 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की डेयरी से वास्ते जांच लिये गये घी का नमुना कोड संख्या आर–1599 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की डेयरी से लिया गया घी का नमुना अवमानक पाया गया जिसकी पुनः जांच रेफरेल लैब मैसुर से करवाने पर भी नमुना घी अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standards) घी का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर क्रमशः पच्चीस–पच्चीस हजार कुल 50000/– अक्षरे पचास हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रार्थी जब्तशुदा घी के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कर इस न्यायालय को सूचित करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 6-3-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली